संशोधित

प्रस्ताव संख्या –**FP/UP/Approach/48833/2020**

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक – 1225/27–4 फतेहपुर , दिनांक – 22/10/2021

सेवा में,

चीफ रीजनल मैनेजर,
कानपुर रिटेल रिजनल ऑफिस,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 कानपुर।

विषय :– हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारर्पोरेशन लि0 कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा संख्या 1502, ग्राम – असवार तारापुर, परगना – फतेहपुर, तहसील – फतेहपुर, जिला–फतेहपुर (उ0प्र0) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या – 8बी/यू.पी./06/226/2021/एफ.सी./425 दिनॉक 30.09.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1130/11–सी दिनांक 01.10.2021।

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 19 बिन्दुओं के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

अतः जारी की गई समस्त बिन्दुओं का अनुपालन पूर्ण करते हुये अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड कर आख्या की प्रति एवं वांछित वचन बद्धता प्रमाण पत्र मय संलग्नक के पांच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। –

1- Legal Status of the forest land shall remain unchanged.

2- Compensatory afforetation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees in Budwan Forest Block, Khaga Range, District-fatehpur at the cost RS. 55943.00 Of the User Agency. As for as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species had to be avoided.

3- The cost of compensatory afforeatation at the prevailing wage rates as per revised compensatory afforeatation for plantation scheme for plantation of 100 plants and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars of required on the CA land shall be deposited Rs 55943.00 in advance with Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.

4- The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) Rs. 50374.00 for the 0.08047 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Humble Supreme Court of India date 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in IA No. 566 in WP(c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC date 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

5- Penal NPV RS. 41108.00 to be imposed & collected as per the FCA guidelines date 29-01-2018 and deposited to CAMPA fund.

6- Penal CA shall be taken up by Forest Department for Plantations of 100 Tree at the cost of Rs. 55943.00 User Agency.

7- Additional amount of NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User shall furnish an undertaking to this effect.

8- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

9- Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.

10- User agency shall use the land between entry and exit of petrol pump and Conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.

11- Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.

12- No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.

13- Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.

14- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

15- The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with period of lease to be granted in favor of user agency or the project life, whichever is less.

16- The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-green watch portal with all the requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking stage-II Approval, as the case me be.

17- Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

18- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https:/parivesh.nic.in).

19- The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic. in/).

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Proposal No. : FP/UP/Approach/48833/2020

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग (ODR) के कि.मी. स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या 1502, ग्राम असवार तारापुर, परगना–फतेहपुर, तहसील व जनपद – फतेहपुर (उ0प्र0) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.08047 हे0 के स्थान पर 100 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खागा रेंज के अन्तर्गत **बुदवन वन ब्लाक** (ऊसर भूमि) में अवनत वन भूमि का चयन किया गया है। जिसमें कंजी, नीम, अर्जुन, प्रासोपिस आदि पौधों का रोपण प्रस्तावित है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु (प्रथम व द्वितीय वर्ष) अग्रिम मृदा व वृक्षारोपण कार्य मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी उ0प्र0 के पत्र 223/15–1(सिंलिग दर) दिनांक 14.08.2017 द्वारा जारी सिंलिग दर के अनुसार तथा (तृतीय वर्ष से दवादशम वर्ष तक) अनुरक्षण प्रथम वर्ष से अनुरक्षण दशम वर्ष तक मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0 कैम्पा के पत्रांक 403 दिनांक 14 सितम्बर द्वारा जारी सिलिंग दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है जो निम्नानुसार प्रस्तुत है –

रोपित पौधों की संख्या – 100

भूमि का प्रकार– ऊसर

श्रम दर – रु0 201.00

क्र0सं0	वर्ष	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु0 में) श्रम दर रु0 175.00 प्रति मानव दिवस के अनुसार	श्रम दर में 14.86 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात दर (रु0 में0)	तृतीय वर्ष एवं आगामी वर्षों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर दर (रु0 में)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	प्रति हे0	0.16	55900.00	64207.00	0.00	10273.12
2	दवितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	प्रति हे0	0.160	110630.00	127070.00	0.00	20331.20
3	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	39350.00	45197.00	49717.00	7954.72
4	चतुर्थ वर्ष	दवितीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	31052.00	35666.00	39233.00	6277.28
5	पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	17320.00	19894.00	21883.00	3501.28
6	षष्टम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5829.00	6695.00	7365.00	1178.40
7	सप्तम वर्ष	पंचम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5829.00	6695.00	7365.00	1178.40
8	अष्टम वर्ष	षष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5192.00	5964.00	6560.00	1049.60
9	नवम वर्ष	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5192.00	5964.00	6560.00	1049.60
10	दशम वर्ष	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5192.00	5964.00	6560.00	1049.60
11	एकादशम वर्ष	नवम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5192.00	5964.00	6560.00	1049.60
12	द्ववादशम वर्ष	दशम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5192.00	5964.00	6560.00	1049.60
							योग	55942.40
							अर्थात	**55943.00**

नोट :– तृतीय वर्ष (अनुरक्ष प्रथम वर्ष से) दवादशम वर्ष (अनुरक्षण दशम वर्ष) तक की धनराशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

Proposal No. : FP/UP/Approach/48833/2020

54

शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि की गणना

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग (ODR) के कि.मी. स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या 1502, ग्राम असवार तारापुर, परगना–फतेहपुर, तहसील व जनपद – फतेहपुर (उ0प्र0) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.08047 हे0 की शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है :–

1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल :– 0.08047 हे0
2. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व :– 0.3
3. उपरोक्त इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाले

   वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर :– रु0 6.26 लाख प्रति हे0

4. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य :– **0.08047 X 626000 = 50374.22**

   अर्थात् :– 50374.00

   (रुपया पचास हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र)

उपरोक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी। तथा भविष्य में यदि उक्त दर में कोई बढ़ोत्तरी होगी तो तदानुसार धनराशि देय होगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव
प्रभाग
फतेहपुर

al No. : FP/UP/Approach/48833/2020

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या – 8बी / यू.पी. / 06 / 226 / 2021 / एफ.सी. / 425 दिनॉक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में संशोधित

दण्डात्मक N.P.V की गणना

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग (ODR) के कि.मी. स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या 1502, ग्राम असवार तारापुर, परगना–फतेहपुर, तहसील व जनपद – फतेहपुर (उ०प्र०) में रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में बिना वृक्ष पातन के प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.08047 हे० में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसके फलस्वारुप भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक **N.P.V** की गणना निम्नानुसार है :–

1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल	:–	0.08047 हे0
2. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व	:–	0.3
3. उपरोक्त इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर	:–	रु0 6.26 लाख प्रति हे0
4. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध **N.P.V**	:–	**0.08047 X 626000**
	=	**50374.22** अर्थात् **50374.00**
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनवरी 2019 में बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग कर उल्लंघन किया गया है, इसलिये दण्डात्माक **N.P.V**	:–	**0.08047 X 626000X3**
	=	**151133.66** अर्थात् **151134.00**
6. दण्डात्माक **N.P.V** का 12% वार्षिक ब्याज	:–	**151134.00 X 12 X 3 / 100**
	=	**54408.24** अर्थात् **54408.00**
7. कुल दण्डात्मक **N.P.V** की धनराशि	:–	**151134.00 + 54408.00**
	=	**205542.00**

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० भारत सरकार का एवं उपक्रम है इसलिये कुल दण्डात्मक **N.P.V** की धनराशि का 20 प्रतिशत ही धनराशि देय होगी।

अतः देय दण्डात्मक **N.P.V** की धनराशि	:–	**205542.00 X 20 / 100**
	=	**41108.40** अर्थात् **41108.00**

(रुपया इकतालिस हजार एक सौ आठ मात्र)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

Proposal No. : FP/UP/Approach/48833/2020

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या – 8बी/यू.पी./06/226/2021/एफ.सी./425 दिनॉक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में 100 वृक्षो के रोपण हेतु दण्डात्मक वृक्षारोपण की धनराशि का आगणन

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग (व्क्त) के कि.मी. स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या 1502, ग्राम असवार तारापुर, परगना–फतेहपुर, तहसील व जनपद – फतेहपुर.(उ0प्र0) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या – 8बी/यू.पी./06/226/2021/एफ.सी./425 दिनॉक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में 100 वृक्षो के रोपण हेतु दण्डात्मक वृक्षारोपण की धनराशि का आगणन

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु (प्रथम व द्वितीय वर्ष) अग्रिम मृदा व वृक्षारोपण कार्य मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी उ0प्र0 के पत्र 223/15–1(सिंलिग दर) दिनांक 14.08.2017 द्वारा जारी सिंलिग दर के अनुसार तथा (तृतीय वर्ष से दवादशम वर्ष तक) अनुरक्षण प्रथम वर्ष से अनुरक्षण दशम वर्ष तक मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0 कैम्पा के पत्रांक 403 दिनांक 14 सितम्बर द्वारा जारी सिलिंग दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है जो निम्नानुसार प्रस्तुत है –

रोपित पौधों की संख्या – 100

श्रम दर – रु0 201.00

क्र0सं0	वर्ष	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु0 में) श्रम दर रु0 175.00 प्रति मानव दिवस के अनुसार	श्रम दर में 14.86 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात दर (रु0 में0)	तृतीय वर्ष एवं आगामी वर्षों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर दर (रु0 में)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	प्रति हे0	0.16	55900.00	64207.00	0.00	10273.12
2	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	प्रति हे0	0.160	110630.00	127070.00	0.00	20331.20
3	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	39350.00	45197.00	49717.00	7954.72
4	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	31052.00	35666.00	39233.00	6277.28
5	पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	17320.00	19894.00	21883.00	3501.28
6	षष्टम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5829.00	6695.00	7365.00	1178.40
7	सप्तम वर्ष	पंचम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5829.00	6695.00	7365.00	1178.40
8	अष्टम वर्ष	षष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5192.00	5964.00	6560.00	1049.60
9	नवम वर्ष	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5192.00	5964.00	6560.00	1049.60
10	दशम वर्ष	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5192.00	5964.00	6560.00	1049.60
11	एकादशम वर्ष	नवम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5192.00	5964.00	6560.00	1049.60
12	द्ववादशम वर्ष	दशम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	0.160	5192.00	5964.00	6560.00	1049.60
							योग	55942.40
							अर्थात	**55943.00**

नोट :– तृतीय वर्ष (अनुरक्ष प्रथम वर्ष से) दवादशम वर्ष (अनुरक्षण दशम वर्ष) तक की धनराशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@gov.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/74/2021/एफ.सी./1425 दिनॉक: 30.09.2021

सेवा में,
अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/48833/2020

विषय: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो0लि0 कानपुर द्वारा जनपद–फतेहपुर के अंतर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के किमी0 स्टोन सं0–14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं0–1502, ग्राम–असवार तारापुर, परगना–फतेहपुर, तहसील–फतेहपुर, जिला–फतेहपुर में रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं0–1259/81–2–2021–800(18)/2021, लखनऊ, दिनांक – 17.08.2021.

महोदय,

उपरोक्त विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक–पी–03/81–2–2021–800(18)/2021, लखनऊ, दिनांक–02.03.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो0लि0 कानपुर द्वारा जनपद–फतेहपुर के अंतर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के किमी0 स्टोन सं0–14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं0–1502, ग्राम–असवार तारापुर, परगना–फतेहपुर, तहसील–फतेहपुर, जिला–फतेहपुर में रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.

2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees in Budvan Forest Block, Khaga Range, District Fatehpur at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.

3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.08047 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

5. Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines dated 29-01-2018 and deposited to CAMPA fund.

6. Penal CA shall be taken up by Forest Department for plantation of 100 trees at the cost of User Ageny.

7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

9. Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.

10. User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.

11. Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.

12. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.

13. Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.

14. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

15. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

16. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

18. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal (https://parivesh.nic.in/)*.

19. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in/)*.

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीय,

(बिभाष रंजन)
उप महानिदेशक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि : (ई–मेल द्वारा)

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. नोडल अधिकारी(वन संरक्षण)मुख्य वन संरक्षक, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
4. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फतेहपुर।
5. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
6. चीफ रिजनल मैनेजर, कानपुर रिटेल रिजनल ऑफिस हिन्दुस्तान कॉर्पो0लि0, कानपुर।
7. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

30/9/2021
(बिभाष रंजन)
उप महानिदेशक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1130 /11–सी–FP/UP/Approach/48833/2020, लखनऊ, दिनाँकः अक्टूबर 01 , 2021

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्वान्तिक स्वीकृति की **बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों** में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्वान्तिक स्वीकृति **बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों** तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धो के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र/उल्लंधन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः– चीफ रिजनल मैनेजर, कानपुर रिटेल रिजनल ऑफिस हिन्दुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये **भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर** बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।